शांतिदेवी v/s फैमरलाल

अप्रार्थी सं. 1-2-3 अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं. 6-7-8-
की ओर से वकील श्री मिलोड चन्द आंगिड द्वारा वकालतनामा पेश
किया। वकील अप्रार्थी सं. 6 लगा. 11 वकालतनामा मय पत्रावली
बाबत समय चाहते है। समय दिया जाता है। पत्रावली आदेशार्थ
14/10/22 को पेश हो। पत्रावली में जारी स्थगन आदेश आगामी
तारीख पेशी तक बढ़ाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Sir,
Not press by me
Santosh

21/9/2022

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत (मूल पत्रावली में) प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब स्वीकार किये जाने के कारण, पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थीगण स्वयं उप। वकील प्रार्थी व प्रार्थीगणों, प्रथम पत्रावली पर कार्यवाही शीघ्र करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली आदेशिका पर Not press करने बाबत टिप्पणी अंकित की। वकील प्रार्थी तथा प्रार्थीगण को सुनाया गया। प्रार्थीगण पत्रावली में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। ऐसी स्थिति मे पत्रावली पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। प्रार्थी वकील व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र, आदेशिका पर अंकित टिप्पणी, तथा मौखिक निवेदन से स्वीकार किया जाकर, पत्रावली पर कार्यवाही इस स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फिनल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner